न्यायालय प्रथम सिविल जज जू0डि0 , कासगंज।
मूल वाद संख्या–96/2014
JO CODE-UP-2436
जसराम बनाम सन्तोष आदि।

29.01.2020

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 26सी–2 पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र– 26सी–2

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र 26सी–2 आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थी का यह कथन है कि उक्त वाद में दिनांक 04.12.2018 वास्ते पी0डब्ल्यू0–1 जिरह हेतु नियत थी। उक्त दिनांक को प्रार्थी न्यायालय कार्य अधिक होने के कारण एवं कासगंज बार एसोसियेशन की जनरल बॉडी की मीटिंग की वजह से सभी पत्रावलियों में मा0 न्यायालय द्वारा अग्रिम दिनांक प्रदान कर दी गई, किन्तु प्रतिवादी सं0–1 संतोष कम पढ़ा–लिखा होने की वजह से अग्रिम दिनांक जो कि 05.12.2018 नियत थी, को दिनांक 05.01.2019 समझ लिया, जिस कारण वह अग्रिम नियत दिनांक 05.12.2018 को न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एक पक्षीय रूप से अग्रसारित कर दी गई। अतः प्रार्थी न्यायालय से याचना करते है कि प्रतिवादीगण को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए आदेश दिनांक 05.12.2018 को रीकॉल किये जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

वादी द्वारा आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि आदेश दिनांक 05.12.2018 को रीकॉल हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसमें कोई पर्याप्त कारण प्रतिवादी द्वारा नहीं दर्शाया गया है। इस आधार से प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी को दिनांक 05.12.2018 को पूरी जानकारी थी। वह जानबूझकर हाजिर नहीं हुआ। प्रतिवादी को दिनांक 05.01.2019 की जानकारी थी। उसी दिनांक को ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था लेकिन प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2019 को प्रस्तुत किया गया है।

सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

उपरोक्त वाद में पत्रावली पी0डब्ल्यू0–1 से प्रतिपरीक्षा हेतु नियत थी। परन्तु प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आया व उसके द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस कारण न्यायालय ने आदेश दिनांकित 05.12.2018 द्वारा, प्रतिवादी के जिरह का अवसर समाप्त कर दिया व वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गई। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने विलम्ब का मुख्य कारण यह दर्शाया गया है कि वह कम पढ़ा–लिखा है, इस कारण वह नियत दिनांक जो कि 05.12.

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPKR060001642014/truecopy/order-1.pdf

2018 को दिनांक 05.01.2019 समझ लिया, जिस कारण वह नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित नहीं हो सका। यह विधि अनेक बार प्रतिपादित की जा चुकी है कि वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर होना चाहिए। प्रक्रियात्मक विधि सारवान न्याय से ऊपर नहीं होती है। यदि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ना तो वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर हो पायेगा व ना ही प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलेगा।

अतः न्यायहित में तथा वाद को गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

1– प्रार्थना पत्र 26सी–2 मुव0 50/–रूपये हर्जे पर इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्रतिवादी अनावश्यक रूप से कोई स्थगन नहीं देगा।

2– आदेश दिनांकित 05.12.2018 को अपास्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते पी0डब्ल्यू0–1 जिरह दिनांक 13.03.2020 को पेश हो।

दिनांक–29.01.2020

प्रथम सिविल जज (जू0डि0),
कासगंज।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPKR060001642014/truecopy/order-1.pdf